प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 06.11.2026,

प्रेस नोट दिनांक 06.11.2026
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग कर किशोरी को गोली मारकर घायल करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिपीटर एवं शस्त्र लाइसेंस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 02.11.2026 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे नगिया पर्वतपुर निवासी के घर निकासन कार्यक्रम के दौरान नृत्य का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान कार्यक्रम में मौजूद नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सोनू पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम पर्वतपुर, थाना जेठवारा द्वारा अपनी लाइसेंसी रिपीटर से हर्ष फायरिंग की गई, जिससे पास में मौजूद उम्र करीब 17 वर्ष लडकी के पैर में गोली लग गई तथा वह घायल हो गई। घटना के संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 325/2026 धारा 61(2), 109(1) बीएनएस व 30 आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार वर्मा व उ0नि0 राजाराम यादव मय हमराह का0 अंकित मौर्या, का0 उमाकान्त पाण्डेय, हे0का0 सत्येन्द्र कुमार (चालक) द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश तथा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत बुचुन तिराहे पर राकेश सिंह भट्ठे के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सोनू पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम पर्वतपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी रिपीटर (12 बोर)।
01 अदद शस्त्र लाइसेंस।

पूछताछ एवं बरामदगी का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 02.11.2026 को ग्राम पूरे नगिया पर्वतपुर निवासी के घर निकासन कार्यक्रम में वह अपनी लाइसेंसी रिपीटर लेकर शामिल हुआ था। कार्यक्रम में खुशी जाहिर करने एवं अपना वर्चस्व दिखाने के उद्देश्य से उसने अपनी लाइसेंसी रिपीटर से फायर किया था, जिससे पास में खड़ी लडकी के पैर में गोली लग गई थी। घटना के बाद शोर-शराबा होने पर वह भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिपीटर बरामद की गई तथा उसके कब्जे से शस्त्र लाइसेंस भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सोनू पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम पर्वतपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 114/2023, धारा 147/323/392/411/504/506 भादवि व 3(1)घ/3(1)द/3(2)V/3(2)VA एससी/एसटी एक्ट, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 325/2026, धारा 61(2)/109(1) बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार वर्मा व उ0नि0 राजाराम यादव मय हमराह का0 अंकित मौर्या, का0 उमाकान्त पाण्डेय, हे0का0 सत्येन्द्र कुमार (चालक), थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 06.11.2026
थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पशु चोरी की घटनाओं में संलिप्त 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा पशु चोरी की घटनाओं में संलिप्त 01 शातिर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30/31.10.2026 की मध्य रात्रि ग्राम ऊदापुर, थाना जेठवारा क्षेत्र से प्रार्थी वजहुल कमर के 03 बकरे व 01 बकरी चोरी हो गए थे। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा खोजबीन के दौरान ग्राम चमरूपुर पठान में सफेद स्विफ्ट कार संख्या DL5CH6615 सवार 04 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें 03 व्यक्ति मौके से फरार हो गए तथा 01 व्यक्ति दीपक गौड़ को कार सहित पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 323/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 पवन कुमार यादव मय हमराह का0 अरविन्द कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत आशापुर मोड़ के पास से अभियुक्त मो0 मुजीब पुत्र मोहर्रम उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम ननईया राहटीकर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 मुजीब पुत्र मोहर्रम उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम ननईया राहटीकर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 323/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
मु0अ0सं0 322/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन, जनपद प्रयागराज ।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में ज्ञात हुआ कि उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 08.08.2026 को चन्द्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज के गेट नंबर-01 से चोरी की गई थी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन, प्रयागराज पर मु0अ0सं0 322/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मो0 मुजीब ने बताया कि वह अपने साथी 1. दीपक गौड़ पुत्र श्यामलाल गौड़ निवासी देल्हूपुर, थाना लालगंज, प्रतापगढ़, 2. सहबाज उर्फ सब्बे उर्फ अरबाज पुत्र रम्मन उर्फ आसिफ कुरैशी निवासी ननइया बाजार, थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं 3. करन सरोज निवासी उछापुर, थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ के साथ मिलकर जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु चोरी की घटनाएं कारित करता था। अभियुक्त ने ग्राम भीखमपुर से 05, ग्राम ऊदापुर से 03, ग्राम सरायभीमसेन जहानपुर से 04, ग्राम चमरूपुर पठान से 01 तथा ग्राम बलीपुर परसन से 05 बकरियां चोरी करना स्वीकार किया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि दिनांक 30/31.10.2026 की रात्रि ग्राम ऊदापुर में पशु चोरी के दौरान उसके साथी दीपक गौड़ को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था, जबकि वह अपने अन्य साथियों के साथ मौके से फरार हो गया था। आज भी वह पशु चोरी के उद्देश्य से रेकी करने जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पवन कुमार यादव, मय हमराह का0 अरविन्द कुमार, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 06.11.2026
थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानतीय वारंट (NBW) के क्रम में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट संख्या-13, प्रतापगढ़ से जारी गैर जमानतीय वारंट (NBW), वाद संख्या 10817/2020, राज्य सरकार बनाम करन सिंह, मु0अ0सं0 166/1995, धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त करन सिंह पुत्र स्व0 जगदीश सिंह निवासी ग्राम लोहंगराय, मजरे सरायगोविन्दराय, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 58 वर्ष को ग्राम के मुर्गी फार्म के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह का0 विजय बहादुर द्वारा की गई। नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।